

Order sheet [Contd]

case No.clam 42 / 2017

| | Order or proceeding with signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleadors where necessary |
|-------------------|--|--|
| 10.02.2018 प्रकरण | <p>क्लेम प्रकरण क्रमांक-42/17 श्रीमती किरन एवं अन्य विरुद्ध वीर सिंह एवं अन्य</p> <p>प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत ।</p> <p>आवेदिका क्रं0 01 स्वयं तथा आवेदिका क्रं0 02 अनुष्का अवयस्क सरपरस्त मा श्रीमती किरन सहित श्री डी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता उप0 ।</p> <p>अनावेदक क्रमांक 01 व 02 सहित श्री मुकेश कुशवाह अधिवक्ता उप0 ।</p> <p>उभयपक्ष की ओर से लोक अदालत डॉकेट भरकर संयुक्त रूप से राजीनामा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया। आवेदक एवं अनावेदक द्वारा डॉकेट पर हस्ताक्षर किए गये। आवेदिका श्रीमती किरन को श्री दिनेश गुर्जर अधिवक्ता द्वारा तथा अनावेदकगण वीर सिंह एवं मवासीलाल को श्री मुकेश कुशवाह अधिवक्ता द्वारा पहचाना गया ।</p> <p>प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि अनावेदकगण मवासीलाल एवं वीर सिंह, आवेदिका श्रीमती किरन के पति एवं आवेदिका कुमारी अनुष्का के पिता महेश को मोटर वाहन दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु के लिये आवेदिकागण को राशि रुपये 2,50,000/-(दो लाख पचास हजार) रुपये अदा करेंगे। उभयपक्ष ने यह भी व्यक्त किया है कि अनावेदकगण के द्वारा 2,45,000/-(दो लाख पैतालीस हजार) रुपये की राशि अजा अदा कर दी गयी है। शेष 5,000/—रुपये की राशि अदा करना है।</p> <p>उभय पक्ष की ओर से स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया। राजीनामा विधिवत प्रकट होता है। अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामे के आधार पर आवेदक के पक्ष में निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदिका श्रीमती किरन के पति एवं आवेदिका कुमारी अनुष्का के पिता महेश की दुर्घटना में आई चोटों से हुयी मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति स्वरूप आवेदिकागण को शेष राशि 5,000/-(पांच हजार) रुपये दो माह की अवधि में अदा करें। विहित इस अवधि में यदि राशि की अदायगी नहीं की जाती है तब विलंबित अवधि के लिये देय राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की राशि भी अदा करें। 2. उक्त क्षतिपूर्ति की राशि 5,000/-(पांच हजार) रुपये जमा होने पर आवेदिका श्रीमती किरन को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान किये जावें। 3- उभय पक्ष अपना-अपना वाद वहन करेंगे । 4. अधिवक्ता शुल्क 2,000/—रुपये लगाया जावे। | |

| | | |
|--|--|--|
| | Order or proceeding with signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
| | <p>प्रतिलिपि पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।</p> <p>(रविरमन वाजपेयी) (मुकेश कुशवाह) (मोहम्मद अजहर) सदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, खण्डपीठ क्र. 19</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| | Order or proceeding with signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
| | | |

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)